

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012-38.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-12-1-रास-यू.ए.-5-2012-912, दिनांक 21 जून 2012 एवं क्रमांक एफ-12-1-रास-यू.ए.-5-2012-939, दिनांक 23 जून 2012 के अनुक्रम में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) एवं (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं :—

अधिनियम की धारा 25 (1) (सात) के अंतर्गत :—

श्री सुभाष भाटिया, आर-65/ए, शक्तिनगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर.

अधिनियम की धारा 25 (1) (आठ) के अंतर्गत :—

श्री प्रभाशंकर शुक्ल, सहायक प्राध्यापक (कृषि अभियांत्रिकी), गोविन्द वल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तरांचल.

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू, कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.